जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 11.07.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 06.07.2024 को श्री सलीम पुत्र मरहूम निवासी मोहल्ला बरखण्डी पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के घर से सोने व चांदी का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी के सामान (01 पायल सफेद धातु, 01 बाली पीली धातु) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.लवली पुत्र राजेश निवासी मौहल्ला नन्दुप्रसाद थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ सामान 01 पायल सफेद धातु व 01 बाली पीली धातु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मौ0 युसुफ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.हे0का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.HG 1674 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 03 बाल अपचारी अभिरक्षा में, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 05.06.2024 को बिजेन्द्र पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के घर से गैंहू का कट्टा चोरी कर लेने तथा दिनांक 09.07.2024 को उदयवीर पुत्र इलम चन्द निवासी ग्राम कुड़ाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के बन्द मकान से अज्ञात चोरों द्वारा चाँदी के 07 बिछुए व चाँदी की 04 पायल चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सूचना दी थी। पीडितों की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 03 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान (07 बिछुए व 04 पायल) सफेद धातु व 01 गैंहू का कट्टा बरामद हुआ है। बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लेने व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी के 07 बिछुए सफेद धातु (मु0अ0सं0 419/24 धारा 305/331(2) भारतीय न्याय संहिता)।
2.चोरी की 04 पायल सफेद धातु (मु0अ0सं0 419/24 धारा 305/331(2) भारतीय न्याय संहिता)।
3.चोरी किया हुआ 01 गैंहू का कट्टा (मु0अ0सं0 421/24 धारा 380 भादवि)।

<u>अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 बाबूराम सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.हे0का0 विकास पुनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.हे0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5.हे0का0 रिंकू भाटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.07.2024 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ छेडछाड के सम्बन्ध पीड़िता द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दी थी। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्य बाबरी को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलमान उर्फ रेल्हू पुत्र बुन्दू निवासी कस्बा व थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 सुधीर कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 06.07.2024 को थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सुधीर कुमार पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम लोहड़ा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2.कां0 नितिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 7,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2009 में अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र पुत्र बलजोरा 2.रमेश पुत्र झण्डू 3.फूल सिंह पुत्र लक्ष्मी 4.रमेश पुत्र दल्लू 5.रमेश पुत्र रन्मन 6.जयभगवान पुत्र लक्ष्मण समस्त निवासीगण ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 158/2010 धारा 123 (ख) उ0प्र0 जमी0 भूमि अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धाराओं में सुनाई न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा व 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2004 में अभियुक्त इमरान पुत्र हाजी अब्दुल निवासी मोहल्ला मिर्दगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 449/2000 धारा 379,411 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 11.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.नरेन्द्र पुत्र बलजोरा निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

2.रमेश पुत्र झण्डू निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

3.फूल सिंह पुत्र लक्ष्मी निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

4.रमेश पुत्र दल्लू निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

5.रमेश पुत्र रन्मन निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

6.जयभगवान पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम गोगवान जलालापुर थाना बाबरी जनपद शामली।

7. इमरान पुत्र हाजी अब्दुल निवासी मोहल्ला मिर्दगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI